षोडश माला, खंड 15, अंक 6

मंगलवार, 1 मार्च, 2016
11 फाल्गुन, 1937 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

सातवां सत्र
(सोलहवीं लोक सभा)

(खंड 15 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

<u>सम्पादक मंडल</u>

उत्पल कुमार सिंह

महासचिव

ममता केमवाल

संयुक्त सचिव

अमर सिंह

निदेशक

इंदु बक्शी

संयुक्त निदेशक

उमा कालरा

संपादक

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा सचिवालय की पूर्व स्वीकृति के बिना किसी भी सामग्री की न तो नकल की जाए और न ही पुन: प्रतिलिपि तैयार की जाए, साथ ही उसका वितरण, पुन: प्रकाशन, डाउनलोड, प्रदर्शन तथा किसी अन्य कार्य के लिए इस्तेमाल अथवा किसी अन्य रूप या साधन द्वारा प्रेषण न किया जाए, यह प्रतिबंध केवल इलेक्ट्रोनिक, मैकेनिकल, फोटोप्रति, रिकॉर्डिंग आदि तक ही सीमित नहीं है। तथापि, इस सामग्री का केवल निजी, गैर-वाणिज्यिक प्रयोग हेतु प्रदर्शन, नकल और वितरण किया जा सकता है बशर्ते कि सामग्री में किसी प्रकार का परिवर्तन न किया जाए और सभी प्रतिलिप्यधिकार (कॉपीराइट) तथा सामग्री में अंतर्विष्ट अन्य स्वामित्व संबंधी सूचनाएं सुरक्षित रहें।

लोक सभा वाद-विवाद के हिंदी संस्करण का अनुवाद कृत्रिम मेधा (Artificial Intelligence) आधारित सॉफ्टवेयर एप्पलीकेशन की सहायता से किया गया है और सटीक अनुवाद उपलब्ध कराने के लिए यथोचित प्रयास किए गए हैं। तथापि, हिंदी संस्करण में सम्मिलित मूल हिंदी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। इसमें सम्मिलित मूलत: अंग्रेजी और अन्य भाषाओं में दिए गए भाषणों का हिंदी अनवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा। पूर्ण प्रामाणिक संस्करण के लिए कृपया लोक सभा वाद-विवाद का मूल संस्करण देखें।

विषय-सूची

षोडश माला, खंड 15, सातवां सत्र, 2016 / 1937 (शक)
अंक 6, मंगलवार, 1 मार्च, 2016 / 11 फाल्गुन,1937 (शक)

विषय	पृष्ठ संख्या
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 61 से 63 और 71	9-20
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 64 से 70 और 72 से 80	24
अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920	

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने ही पूछा था।

सभा पटल पर रखे गए पत्र 25-30

राज्य सभा से संदेश 31

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016 32

सदस्य द्वारा निवेदन

पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के निवेश पर प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग द्वारा कथित प्रकटीकरण के बारे में 37-41

नियम 377 के अधीन मामले 42-68

(एक) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती नीलम सोनकर 42-43

(दो) राजस्थान के उदयपुर में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन लाल मीणा 44

(तीन) देश के कपास उत्पादक किसानों के कल्याण हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. मनोज राजोरिया 45

(चार) बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत निधियों में कथित अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी 46

(पांच) जम्मू और कश्मीर में विश्नाह, नौशेरा एवं पुंछ में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जुगल किशोर 47

(छह) पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री महेश गिरी 48

(सात) उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री हुकुम सिंह 49

(आठ) राजस्थान के मकराना शहर को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री सी.आर. चौधरी 50

(नौ) हिन्दी भाषा में मोबाइल एसएमएस भेजने की दर को कम किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.पी. चौधरी 51-52

(दस) देश में विशेषतः महाराष्ट्र में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री नाना पटोले 53

(ग्यारह) बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंडई नदी से पत्थर चुनने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सतीश चंद्र दुबे 54

(बारह) उत्तराखंड में हरिद्वार के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल 'निशंक' 55

(तेरह) गुजरात के बारडोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाक भवनों की स्थिति में सुधार किए जाने और पर्याप्त डाक कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा 56

(चौदह) केरल राज्य के सबरीमाला मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री कोडिकुन्नील सुरेश 57

(पंद्रह) केरल के तिरूवनंतपुरम में प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध पादप संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर 58

(सोलह) ओडिशा सरकार को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत केन्द्रीय सहायता की बकाया राशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान 59

(सत्रह) भारत के राष्ट्रगान में 'सिंधु' शामिल किए जाने की समीक्षा तथा उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री अरविंद सावंत 60

(अठारह) तेलंगाना के किसानों से एमएसपी की दर से मक्का खरीदे जाने की आवश्यकता

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी 61

(उन्नीस) लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस की सेवाओं का उपयोग करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इस ट्रेन के किराए को भारतीय रुपए में तय किए जाने की आवश्यकता

श्री ए.पी. जितेन्द्र रेड्डी 62

(बीस) आन्ध्र प्रदेश के वाई.एस.आर. जिले में इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी 63-64

(इक्कीस) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि को क्षेत्र विशेष की निर्माण लागत के अनुसार निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी. के. बिजू 65

(बाईस) देश में सुगन्धित और मीठी सुपारी के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले 66

(तेईस) बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में बीएसएनएल मोबाइल टावर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जय प्रकाश नारायण यादव 67

(चौबीस) महुवा-सूरत एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने और इसे मुम्बई तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री नारणभाई काछड़िया 68

<u>लोक सभा के पदाधिकारी</u>

अध्यक्ष

श्रीमती सुमित्रा महाजन

उपाध्यक्ष

डॉ. एम. तंबिदुरै

सभापति तालिका

श्री अर्जुन चरण सेठी

श्री हुक्मदेव नारायण यादव

श्री आनंदराव अडसुल

श्री प्रह्लाद जोशी

डॉ. रत्ना डे (नाग)

श्री रमेन डेका

श्री कोनाकल्ला नारायण राव

श्री हुकुम सिंह

श्री के.एच. मुनियप्पा

डॉ. पी. वेणुगोपाल

महासचिव

श्री अनूप मिश्र

लोक सभा वाद-विवाद

लोक सभा

मंगलवार, 1 मार्च, 2016 / 11 फाल्गुन, 1937 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*]

… (*व्यवधान*)

(*इस समय, श्री पी. कुमार और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए*)

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न काल।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

[1]प्रश्नों के मौखिक उत्तर

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न सं. 61, श्री असादुद्दीन ओवैसी।

(प्रश्न 61)

श्री असादुद्दीन ओवैसी : कल जो बजट पेश किया गया था उसमें खाद्य सुरक्षा अधिनियम के फ़ूड सब्सिडी बिल में 5,000 करोड़ रुपये की कमी कर दी गई है। ...(*व्यवधान*)

मैं मंत्री जी से विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लागू करने से पहले राज्यों के लिए पूर्व शर्त क्यों है। अधिनियम में इस बारे में बात नहीं की गई है। अधिनियम में केवल इतना कहा गया है कि राज्यों को कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से आधुनिकीकरण का प्रयास करना चाहिए। ...(*व्यवधान*)

मैं मंत्री से विशेष रूप से जानना चाहता हूं कि मातृ स्वास्थ्य योजना जिसमें ज्यादातर एनीमिया से पीड़ित गर्भवती महिलाओं को चिकित्सा खर्च और पौष्टिक भोजन के लिए 6,000 रुपये देने का प्रावधान है, को क्यों शुरू नहीं किया जा रहा है। ...(*व्यवधान*) मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ। ...(*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा पूर्वाह्न 11:15 बजे पुन: समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

तत्पश्चात लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट तक के लिए स्थगित हुई।

---

[1] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>पूर्वाह्न 11.15 बजे</u>

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजकर पंद्रह मिनट पर पुनः समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं*)

<u>प्रश्नों के मौखिक उत्तर...जारी</u>

… (*व्यवधान*)

<u>पूर्वाह्न 11.15 1/4 बजे</u>

(इस समय, श्री पी.आर. सुंदरम और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (*व्यवधान*)

(प्रश्न 61 - जारी)

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी : मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं - उन्होंने इस बारे में बात नहीं की है - मातृ स्वास्थ्य योजना क्यों शुरू नहीं की गई है? ऐसा क्यों है कि उनके मंत्रालय ने एक अधिसूचित पी.डी.एस. आदेश जारी किया है जो केवल नागरिकों को ही पात्रता/हक़ देने को सीमित करता है? ...(*व्यवधान*) यह अनुच्छेद 21 और खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन है जिसमें महिलाओं और बच्चों के बारे में कहा गया है। वैसे भी दिल्ली में पी.डी.एस. कार्ड लेने के लिए कोई कनाडाई या कुवैती लाइन में नहीं खड़े हैं। ... (*व्यवधान*) ऐसा

क्यों है कि इस सरकार ने श्री वाजपेयी की विरासत को नष्ट कर दिया है जिसमें अंत्योदय आवास योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जा रहा है और राज्यों को निर्देश दिया गया है कि वे कोई नया परिवार न जोड़ें? ऐसा क्यों है कि वे सूखा प्रभावित क्षेत्रों को और अधिक अनाज जारी करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा किए गए अनुरोध को स्वीकार नहीं कर रहे हैं? (*व्यवधान*)

[हिंदी]

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदया, देश के 53 जिलों में पहले और दूसरे बच्चे के जन्म पर माँ को छह हज़ार रूपये प्रति जन्म पर मिलता है। ...(व्यवधान) यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित है। ...(व्यवधान) उनके द्वारा पूरे देश में इस योजना को लागू करने का प्रस्ताव तैयार कर शीघ्र ही कैबिनेट के निर्णय के लिए भेजा जा रहा है। ...(व्यवधान) 19 वर्ष की आयु होने पर बच्चा जन्म लेने पर है, ...(व्यवधान) दूसरी शर्त है कि माँ बच्चे को टीकारण का लाभ मिलेगा। ...([अनुवाद] व्यवधान) खाद्य सुरक्षा एक्ट लागू होने के पहले लाभ का दर चार हज़ार रूपये था, अब छह हज़ार रूपये हो गया। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री असादुद्दीन ओवैसी: मेरा विशिष्ट प्रश्न पी.डी.एस. के आदेश के बारे में है कि यह केवल नागरिकों को ही जारी किया जाएगा। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। … (*व्यवधान*) आप इस आदेश के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं और इससे बेघर प्रवासियों, वनवासियों, एकल महिलाओं, गैर-अधिसूचित जनजातियों के लिए एक बड़ी समस्या पैदा हो रही है। आप राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं। तो, क्या मंत्री जी इस बात का स्पष्ट उत्तर दे सकते हैं कि क्या सरकार पिछले साल जारी किए गए पी.डी.एस. आदेश में संशोधन करेगी ताकि सभी लोग, गरीब से गरीब भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें और आप अंत्योदय आवास योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त नहीं करेंगे, जिसे श्री वाजपेयी जी की विरासत माना जाता है?… (*व्यवधान*)

[हिंदी]

श्री रामविलास पासवान : महोदया, यह कानून पूर्ववर्ती सरकार का बनाया हुआ है। ...(व्यवधान) इसके अनुसार अभी तक जो पहले 11 राज्यों में खाद्य सुरक्षा कानून लागू था, अब वह बढ़ कर 28 राज्यों में हो गया है, जो अन्य राज्य हैं, तमिलनाडु को छोड़ कर बाकी राज्यों ने वादा किया है कि एक अप्रैल के पहले इसको पूरा कर देंगे और जो माननीय सदस्य ने कहा है, ...(व्यवधान) यह जो कानून के तहत है, ...(व्यवधान) वही कार्यवाही हम करते हैं। ...(व्यवधान)

श्री गणेश सिंह : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि खाद्य सुरक्षा कानून आने के बाद राज्यों ने जिस तरह से एक रूपये किलो का गेहूं, चावल और नमक देने का काम शुरू किया है, ...(व्यवधान) हमारे मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में गरीबों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है, ...(व्यवधान) लेकिन सभी को केंद्र सरकार की तरफ से आवंटन नहीं मिलता है। ...(व्यवधान) एक तो मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि पूरा का पूरा आवंटन दिया जाना चाहिए। ...(व्यवधान) दूसरा, अभी जो सूखा पड़ा है, सूखे के समय हमारे प्रदेश के सभी किसानों को, जिनकी फसलों को बड़ा नुकसान हुआ है, ...([अनुवाद] व्यवधान) सबको एक रूपये किलो के हिसाब से गेहूं टझेश्र चावल देने की योजना बनाई है। ...(व्यवधान) क्या उसके लिए भी क्या अलग से केंद्र सरकार आवंटन देने का काम करेगी? ...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : महोदया, जैसा कि आपको मालूम है कि भारत सरकार दो रूपए किलो गेहूँ, तीन रूपए किलो चावल देती है।...(व्यवधान) यदि तीस रूपए चावल की कीमत है तो अट्ठाइस रूपए भारत सरकार देती है।...(व्यवधान) कहीं दो रूपया राज्य सरकार देती है, एक रूपया कन्जूमर देता है।...(व्यवधान) कहीं कन्जूमर दो रूपया देता है, राज्य सरकार एक रूपया देती है।...(व्यवधान) इसलिए जो हमारा कानून है, वह भारत सरकार के द्वारा है।...(व्यवधान) दुर्भाग्य से बहुत सारी राज्य सरकारें क्लेम करती हैं कि हम इसमें सब पैसा दे रहे हैं।...(व्यवधान) ऐसी बात नहीं है।...(व्यवधान) माननीय सदस्य ने जो कहा है यदि उसमें राज्य सरकार कहीं गरीब के हक में कुछ और देना है तो राज्य सरकार सब्सिडी दे सकती है।...(व्यवधान) उनको कम

कीमत पर दे सकती है।...(व्यवधान) जहाँ तक पीडीएस का मामला है, पीडीएस हम सिर्फ चावल और गेहूँ का देते हैं।...(व्यवधान) जहाँ चीनी है, चीनी में साढ़े अड्ठारह रूपए हम सब्सिडी देते हैं।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री राम मोहन नायडू किंजरापु: माननीय अध्यक्ष महोदया, आंध्र प्रदेश में श्री एन. चंद्रबाबू नायडू के सत्ता में आने के बाद से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को बहुत अच्छी तरह से लागू किया जा रहा है। ... (*व्यवधान*) वास्तव में, आंध्र प्रदेश देश का पहला राज्य है जो आधार, ई-पी.डी.एस. जैसे इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल का उपयोग करके सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू कर रहा है, ई-पी.ओ.एस. के माध्यम से वस्तुओं का वितरण और सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पूर्ण कम्प्यूटरीकरण भी कर रहा है। ... (*व्यवधान*)

महोदया, मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह भी लाना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुसार, भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश राज्य को 1.86 लाख मीट्रिक टन चावल की मंजूरी दी है, लेकिन आंध्र प्रदेश को वास्तव में केवल 1.44 लाख मीट्रिक टन दिया गया है और इसके कारण 1.2 करोड़ यूनिट का अंतर है जिसके लिए राज्य सरकार को उन्हें चावल देने का बोझ उठाना पड़ रहा है। (*व्यवधान*) इससे राज्य पर 1,500 करोड़ रुपये का बोझ है जो राज्य अपनी जेब से खर्च करता है। … (*व्यवधान*) आंध्र प्रदेश राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को इतने बड़े पैमाने पर लागू कर रहा है। ... (*व्यवधान*) लेकिन फिर भी इसका क्या फायदा है? … (*व्यवधान*) राज्य सरकार को अतिरिक्त बोझ वहन करना पड़ रहा है। … (*व्यवधान*)

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह आंध्र प्रदेश राज्य को सब्सिडी दर पर 44,000 मीट्रिक टन चावल की आवश्यकता को भी पूरा करेंगे? … (*व्यवधान*)

[हिंदी]

श्री रामविलास पासवान : महोदया, जो फूड सुरक्षा कानून है, इस कानून के अन्तर्गत जिस राज्य को पहले जितना अनाज मिलता था, उससे कम नहीं मिलेगा।...(व्यवधान) पहले जितना भी अनाज मिलता था, तीन

साल का एवरेज निकालकर के हम उसको उतना सामान देंगे।...(व्यवधान) जहाँ तक लाभार्थी का सवाल है, लाभार्थी कौन होगा, यह तय करना राज्य सरकार का काम है।...(व्यवधान) केन्द्र सरकार सिर्फ परसेन्टेज तय करती है।...(व्यवधान)राज्य सरकार लाभार्थी का नाम तय करती है।...(व्यवधान) यह बात सही है कि जो राज्य फूड सुरक्षा कानून के अन्तर्गत काम कर रहे हैं, उसमें आन्ध्र प्रदेश की सरकार भी अच्छा काम कर रही है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं प्रश्नकाल के बाद आपको अनुमति दूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं।

… (*व्यवधान*)

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): अध्यक्ष महोदया, यदि वे उचित नोटिस देते हैं और यदि अध्यक्षपीठ की अनुमति है, तो हम इस मुद्दे पर बाद में चर्चा कर सकते हैं। … (*व्यवधान*) मैं उन्हें केवल यही सलाह देता हूं कि वे अपने स्थानों पर जाएं और नोटिस दें।' … (*व्यवधान*) सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करने में कोई समस्या नहीं है। … (*व्यवधान*) मैं उन्हें सलाह देता हूँ कि कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं और इस मुद्दे को उठाएं। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कहना चाहते हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे नहीं पता कि क्या बात है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

(प्रश्न 62)

[हिंदी]

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: महोदया, आपने मुझे पूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ।...(व्यवधान) माननीय मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का विस्तृत उत्तर दिया है।...(व्यवधान) लेकिन मैं यह पूछना चाह रहा था कि अभी पिछले विगत दिनों में पंजाब में दो अटैक हुए हैं।...(व्यवधान) और दोनों अटैक एक ही जिले में हुए हैं।...(व्यवधान)

मैं जानना चाहता हूँ कि इस क्षेत्र में आतंकवादी आसानी से कैसे घुस जाते हैं? क्या हमारे यहाँ पर कोई सैकेन्ड लाइन ऑफ डिफैन्स की व्यवस्था है? यदि सैकेन्ड लाइन ऑफ डिफैन्स की व्यवस्था है तो उसका क्या प्रावधान है और इस बारे में सरकार ने क्या किया है, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री किरेन रिजीजू : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने दो आतंकवादी घटनाएँ जो पंजाब में हुई हैं, उसके बारे में पूछा है। पठानकोट और गुरदासपुर में जो अटैक हुआ है, उसकी विस्तृत रूप से हमारी सिक्यूरिटी एजेन्सीज़ ने जाँच की है और उसके लिए काफी सख्त कदम भी उठाए गए हैं जिनकी विस्तृत रूप से जानकारी मैं माननीय सदस्य को बाद में दे सकता हूँ। लेकिन कुछ कमियाँ जो पाई गई हैं, वह मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ।

पंजाब में लगभग 552 किलोमीटर लंबी सीमा है जिस पर फैन्सिंग लगी हुई है। टोटल 34.82 किलोमीटर या करीब 35 किलोमीटर की रिवराइन है जहाँ फैन्सिंग लगाना बहुत ही कठिन होता है। वहाँ पर बाढ़ आने से

वह कुछ फैन्सिंग को उखाड़कर ले जाती है। उसमें कुछ गैप है। यह 12 किलोमीटर का जो गैप है जिसमें फैन्सिंग नहीं है, उस जगह से कुछ आतंकवादियों के अंदर आने की, घुसपैठ होने की घटनाएँ सामने आई हैं। उसको भी ठीक करने के लिए बी.एस.एफ. के माध्यम से गृह मंत्रालय ने उस जगह की खामियों को दूर करने के लिए विभिन्न उपाय किये हैं, जिसकी मैं अलग से जानकारी दे सकता हूँ।

श्री सुमेधानन्द सरस्वती: माननीय अध्यक्ष जी, 27.7.2015 को गुरदासपुर के दीनानगर में अटैक हुआ था और उसकी जाँच पंजाब पुलिस को सौंपी गई थी। मैं जानना चाहता हूँ कि पंजाब पुलिस की जाँच में क्या प्रगति हुई है, क्या तथ्य सामने आए हैं? क्या मंत्री जी इस बारे में जानकारी देंगे?

श्री किरेन रिजीजू : पंजाब पुलिस ने जो दीनानगर ब्लास्ट की जाँच की है और उसमें पुख्ता सुबूत हाथ में आए हैं जिसमें अब तक तीन पाकिस्तानी बेस्ड टैररिस्ट्स जो रावी नदी को क्रॉस करके अंदर आए थे और घटना को अंजाम दिया था, उसकी जानकारी प्राप्त हुई है। [हिन्दी] उसके साथ-साथ जो आतंकवादी लोग डिवाइसेज़ इस्तेमाल करते हैं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए, वैसी काफी चीज़ें वहाँ पाई गई हैं। उस दिशा में पंजाब पुलिस के साथ हमारी जो इंटैलिजैन्स एजेन्सीज़ या सिक्यूरिटी एजेन्सीज़ हैं सैन्ट्रल गवर्नमैंट की, वह लगातार संपर्क में हैं और पूर्ण रूप से इसमें क्या-क्या खामियाँ हैं, उसको भी दूर करने का इंतज़ाम कर रहे हैं।

श्रीमती संतोष अहलावत: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या देश के सभी सुरक्षा संस्थापनाओं की समयबद्ध ढंग से सुरक्षा संप्रेक्षा कराने के लिए हाल में ही एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है? क्या इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं? क्या सीमाओं की सुरक्षा के लिए हमने सुदृढ़ व्यवस्था कर ली है और क्या गूगल सहित विभिन्न सर्च इंजनों द्वारा महत्वपूर्ण स्थानों को मानचित्रों पर दर्शाए जाने पर रोक लगाए जाने का विचार है?

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया, देश में विभिन्न प्रकार की आतंकवादी घटनाएँ जब होती हैं तो उसकी अच्छी तरह से गृह मंत्रालय में और विभिन्न प्रकार की जो एजेन्सीज़ हैं, उसमें चर्चा की जाती है। जो घटना

अभी हाल में पंजाब के पठानकोट में हुई है, उसके बाद गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में बड़े स्तर पर बैठक हुई है और उसके बाद विभिन्न प्रकार के कदम उठाने का भी संकल्प लिया गया है। साथ ही साथ डिफैन्स मिनिस्ट्री ने लैफ्टिनेन्ट जनरल फिलिप कैम्पोज़ के नेतृत्व में तीन सदस्यों की एक कमेटी का गठन किया है जो हिन्दुस्तान के जितने भी सैंसिटिव इंस्टालेशन्स हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण जो संस्थाएँ हैं, उन सबको किस तरह से बचाया जाए, सुरक्षित रखा जाए, उसके लिए भी वे पूरी स्टडी करेंगे। इसकी रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। तीन महीने के अंदर वे अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री अश्विनी कुमार जी,आपका भी वही प्रश्न है। [अनुवाद] क्या आप पूरक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि आपका भी प्रश्न सं. 71 ही है?

(प्रश्न 71)

[हिन्दी]

श्री अश्विनी कुमार: अध्यक्ष जी, बाकी सब तो माननीय सदस्य ने प्रश्न में पूछ लिया है। मैं सिर्फ एक ही प्रश्न पूछना चाहता हूँ।

भारत सरकार पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकतों के कितनी ही बार सबूत मुहैया करा चुकी है। ...(व्यवधान) लेकिन, वह ये मानने के लिए तैयार नहीं होगा, ...(व्यवधान) क्योंकि असली ताकत वहां की चुनी हुयी सरकार के हाथ में नहीं है।...(व्यवधान) असली सत्ता फौज के हाथ में है।...(व्यवधान) यह हम सभी जानते हैं।...(व्यवधान) वह भारत से संबंध सुधारने के पक्ष में भी नहीं है।...(व्यवधान) मैं आपके माध्यम से गृहमंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अपनी जांच टीम को पठानकोट भेजने का जो फैसला लिया है, ...(व्यवधान) क्या हमारी सरकार ने उस पर अंतिम निर्णय ले लिया है?

श्री किरेन रिजीजू : अध्यक्ष महोदया जी, अभी हाल के पठानकोट की घटना के बाद जो सबूत हमारे हाथ में आये हैं, हमने उन्हें पाकिस्तान को सौंपा है।...(व्यवधान) उसके बाद पाकिस्तान में यह केस रजिस्टर्ड हुआ है।...(व्यवधान) यह पहली बार हुआ है कि हमारे देश द्वारा सबूत सौंपने पर उसने कार्रवाई की है। ...(व्यवधान) उसके बाद पाकिस्तान ने जांच टीम हिन्दुस्तान में भेजने के लिए रिक्वेस्ट किया है। ...(व्यवधान) लेकिन अभी उसकी डेट, उसकी साइज और कितने लोग आयेंगे, यह डिटेल पाकिस्तान ने नहीं दी है।...(व्यवधान) हम डेट का इंतजार कर रहे हैं।...(व्यवधान) पाकिस्तान अगर डेट देगा तो उसे आगे किस तरह ले जाना है, उस पर भारत सरकार सहयोग करेगी।...(व्यवधान)

(प्रश्न 63)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि क्या सरकार ने गेहूं आयात संबंधी मानदंडों को शिथिल किया है, यदि हां तो पिछले वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान अनुमत्य आयातों की बढ़ी हुयी मात्रा का विस्तृत ब्यौरा मांगा था, ...(व्यवधान) लेकिन जवाब संतोषजनक नहीं आया है। ...(व्यवधान)

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दिनांक 01 जनवरी को 13.80 मिलियन टन के स्टॉकिंग मानदंडों की तुलना में दिनांक 01.01.2016 की स्थिति के अनुसार केन्द्रीय पूल में उपलब्ध स्टॉक 23.79 मिलियन टन है तो गेहूं को क्यों आयात किया गया, किस परिस्थिति में आयात किया गया।...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : हम डब्ल्यू.टी.ओ. के नियम के अनुसार आयात-निर्यात को पूर्णतः बंद नहीं कर सकते हैं।...(व्यवधान) हमने माननीय सदस्य के जवाब में कहा है कि 07.08.2015 से इंपोर्ट ड्यूटी 10 प्रतिशत था। ...(व्यवधान) हमने उसे 19.10.2015 से बढ़ा कर 25 प्रतिशत कर दिया है।...(व्यवधान) जितना कठोर कदम हो सकता है, वह उठाया गया है।...(व्यवधान) हमारे यहां अनाज की कोई कमी नहीं है।...(व्यवधान) हमने वर्ष 2014-15 में 280 लाख टन अनाज खरीदा था।...(व्यवधान) इस बार भी हमने 280 लाख टन अनाज खरीदा है।...(व्यवधान) इसलिए हमारे पास गेहूं और चावल की कोई कमी नहीं है। ...(व्यवधान) हम डब्ल्यू.टी.ओ. के नियम के अनुसार टोटल इंपोर्ट को रोक नहीं सकते हैं।...(व्यवधान) हम डब्ल्यू.टी.ओ. के नियम के अनुसार आयात-निर्यात को पूर्णतः बंद नहीं कर सकते हैं। ...(व्यवधान)

श्री कौशलेन्द्र कुमार : अध्यक्ष महोदया, मेरा दूसरा प्रश्न है कि गेहूं क्यों सड़ रहा है? ... (व्यवधान) आप किसानों की मेहनत को बर्बाद कर रहे हैं। ...([अनुवाद] व्यवधान) माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आजादी के 67 साल हो गये। ...(व्यवधान) जो गेहूं सड़ रहा है, क्या उसे बाजार में बेचने का कोई उपाय है या नहीं है? ...(व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान : उसे बाजार में बेचने का उपाय है। ...(व्यवधान) हमने ओएमएसएस के माध्यम से 66 लाख टन अनाज बेचा है ...(व्यवधान) जहां तक क्षति का सवाल है ...(व्यवधान) आपको मालूम है कि हमारे यहां 280 लाख टन अनाज का प्रोक्योरमेंट किया जाता है। ...(व्यवधान) उसमें केवल 150 टन क्षतिग्रस्त है। ...(व्यवधान) जो जीरो, जीरो, जीरो प्वाइंट कुछ प्रतिशत हो सकता है। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदया, माननीय सदस्यों द्वारा जो मुद्दा उठाया जा रहा है वह बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन उन्हें नियमों का पालन करना होगा। उन्हें नोटिस देने दें। यदि वे नोटिस देते हैं तो सरकार को इस मुद्दे पर चर्चा करने में कोई समस्या नहीं है। … (*व्यवधान*) माननीय अध्यक्ष महोदया ने स्थगन प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी है। आपको एक और प्रस्ताव देना होगा। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि कृपया अपने-अपने स्थानों पर वापस चले जाइए। प्रश्नकाल के बाद, मैं आपको सुनूंगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा मध्याह्न 12 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.36 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न बारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>मध्याह्न 12.00 बजे</u>

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुनः समवेत हुई ।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं)*

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.0 ¼ बजे</u>

(इस समय, श्री पी. नागराजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भर्तृहरि महताब, जय प्रकाश नारायण यादव, प्रो. सौगत राय, श्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिया, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, श्री के.सी. वेणुगोपाल, श्री राजेश रंजन, श्री टी.जी. वेंकटेश बाबू, श्री पी. कुमार, श्री बी. सेनगुट्टुवन, श्री एस.आर. विजय कुमार, डॉ. पी. वेणुगोपाल और श्री एंटो एन्टोनी द्वारा विभिन्न मुद्दों पर स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

महत्वपूर्ण मामलों से दिन के कामकाज में रुकावट नहीं आती। इन मामलों को अन्य अवसरों के माध्यम से उठाया जा सकता है।

इसलिए, मैंने स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अस्वीकार कर दिया है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे अन्य नोटिस भी मिले हैं।

… (*व्यवधान*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने भी नोटिस दिया है।

माननीय अध्यक्ष: आपका नोटिस क्या है?

[हिन्दी]

श्री अर्जुन राम मेघवाल: अध्यक्ष महोदया, 24 फरवरी, 2016 को इसी हाउस में ज्योतिरादित्य जी ने बोलते हुए कहा कि बंडारू दत्तात्रेय जी ने रोहित वेमुला को कास्टिस, एक्स्ट्रिमिस्ट, एंटीसोशल कहा। मेरा यह कहना है कि बंडारू दत्तात्रेय जी को एक लैटर मिला था, जिसे उन्होंने खाली फारवर्ड किया। इन्होंने रोहित वेमुला के लिए कास्टिस, एक्स्ट्रिमिस्ट, एंटी नैशनल नहीं कहा। इन्होंने मिसलीडिंग ऑफ हाउस किया है, इसलिए मेरा प्रिविलेज नोटिस है। आप मेरी प्रिविलेज नोटिस स्वीकार कीजिए।

श्रम और रोज़गार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बंडारू दत्तात्रेय): अध्यक्ष महोदया, मैंने आपको अंडर रूल 223 के तहत प्रिविलेज मोशन का एक नोटिस दिया है। [अनुवाद] श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेरी छवि खराब की है। मेरा अनुरोध है कि मैंने जो पत्र मानव संसाधन विकास मंत्रालय को लिखा था, उसमें मैंने कभी रोहित का नाम नहीं लिया था... (*व्यवधान*)

दूसरी बात यह है कि मैं ओ.बी.सी. वर्ग से आता हूं। मैं एक गरीब परिवार से हूं। लेकिन श्री सिंधिया ने मेरी छवि खराब की है। हैदराबाद, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में हर कोई इस मानहानि के बारे में जानता है, जो मेरे सामने आई है... (*व्यवधान*)

महोदया, पूरा देश जानता है। मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने अपने पूरे जीवन में खुद को दलितों के हित के लिए समर्पित कर दिया है। मैंने ओ.बी.सी. के लिए काम किया है। मैं हमेशा दलितों के लिए खड़ा रहा हूँ। इतना ही नहीं, मेरी मां एक बहुत ही गरीब महिला थीं। मेरी माँ प्याज बेचती थी। मैं जीवन के उस दौर से आया हूं। लेकिन उन्होंने मेरी 30 साल की सेवा को कलंकित कर दिया, जैसे मैंने उनके और दलितों के साथ कुछ किया हो... (*व्यवधान*)

दूसरी ओर, मैंने दलितों के हित के लिए बलिदान दिया है।... (*व्यवधान*) महोदया, मैं इसे पीड़ा के साथ व्यक्त कर रहा हूं। इस तरह, उन्होंने मेरी छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। इसलिए, मैं चाहता हूं कि प्रस्ताव स्वीकार किया जाना चाहिए... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मुझे श्री बंडारू दत्तात्रेय, श्री राकेश सिंह, श्री अजय टम्टा, श्रीमती अनुप्रिया पटेल, श्री जनार्दन मिश्रा, श्री गणेश सिंह, श्री प्रह्लांद सिंह पटेल और अन्य द्वारा श्री सिंधियाजी के खिलाफ दिये गये दिनांक 1 मार्च, 2016 के विशेषाधिकार प्रश्न के नोटिस प्राप्त हुए हैं।

विषय मेरे संज्ञान में है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कुछ माननीय सदस्यों ने नोटिस के माध्यम से मामले को उठाने की मांग की। मैंने कल ही कहा था कि यह मामला मेरे विचाराधीन है। मुझे जो भी विशेषाधिकार नोटिस मिले हैं, वे मेरे विचाराधीन हैं।

… (*व्यवधान*)

[2]प्रश्नों के लिखित उत्तर

(तारांकित प्रश्न संख्या 64 से 70 तथा 72 से 80

अतारांकित प्रश्न संख्या 691 से 920)

[2] **प्रश्नों और उनके उत्तरों के लिए ग्रंथालय में रखी गई वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण की मास्टर-प्रति का संदर्भ लें। प्रश्नों और उनके उत्तरों के संबंध में अधिक जानकारी हेतु आप इस लिंक पर जाएं।** https://sansad.in/ls/hi/questions/questions-and-answers

इस लिंक के खुलने के बाद लोक सभा का चयन करें, फिर सत्र का चयन करें तत्पश्चात् फिल्टर में जाकर वाद-विवाद की तारीख का चयन करने के पश्चात् इसे लागू करें।

<u>अपराह्न 12.06 बजे</u>

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगें।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी): श्री सर्वानंद सोनोवाल की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

(1) राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान, श्रीपेरम्बुदुर के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) राजीव गांधी नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ यूथ डेवलपमेंट, श्रीपेरम्बुदुर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4108/16/16]

[हिन्दी]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिभाई चौधरी): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) दमन और दीव पंचायत विनियम, 2012 की धारा 123 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति:-

(एक) दमन और दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) नियम, 2014, जो 26 जून, 2015 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 30 (अंग्रेजी संस्करण) तथा अधिसूचना संख्या 61 (हिंदी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) दमन और दीव पंचायत (निर्वाचन प्रक्रिया) नियम, 2015, जो 26 जून, 2015 के दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन के राजपत्र में अधिसूचना संख्या 25 (अंग्रेजी संस्करण) तथा 19 अगस्त, 2015 की अधिसूचना संख्या 34 (हिंदी संस्करण) में प्रकाशित हुए थे।

(2) उपर्युक्त (1) की मद संख्या (एक) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4109/16/16]

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहनभाई कल्याणजीभाई कुंदरिया): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षित प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल काउंसिल फॉर को-ऑपरेटिव ट्रेनिंग, नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4110/16/16]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(एक) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-14 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2013-14 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-लेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल.टी. 4111/16/16]

(5) (एक) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड, गुड़गांव के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4112/16/16]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हंसराज गंगाराम अहीर): माननीय अध्यक्ष महोदया , मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ0सं0का0आ0 3949 (अ), जो 17 दिसम्बर, 2015 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा रबी, 2015-16 के दौरान घरेलू विनिर्माताओं द्वारा राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों को किए जाने वाले यूरिया के प्रदाय आदेश को इंगित किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल.टी. 4113/16/16]

[अनुवाद]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजीजू): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

1. सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उप-धारा (3) के अंतर्गत सीमा सुरक्षा बल मुख्यालय समूह 'ग' (नॉन-कम्बैटाइज्ड) पद भर्ती नियम, 2016 जो 11 फरवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 160(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
2. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उप-धारा (3) के अंतर्गत केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 2015 जो 8 जनवरी, 2016 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 14(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4114/16/16]

[हिंदी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) भारतीय पुनर्वास परिषद् नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथ लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय पुनर्वास परिषद् की नई दिल्ली के वर्ष 2014-15 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4115/16/16]

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. संजीव बालियान): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

1. कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :--

(एक) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) गुजरात स्टेट सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, गांधीनगर का वर्ष 2014-2015 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गये । देखिए संख्या एल.टी. 4116/16/16]

2. (एक) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेख।

(दो) कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, चेन्नई के वर्ष 2014-2015 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4117/16/16]

[हिंदी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय सांपला): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 338क की धारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में प्रवासी अनुसूचित जातियों के समक्ष आ रही समस्याएं - मई, 2013 के बारे में प्रतिवेदन।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन पर व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल में रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4118/16/16]

<u>अपराह्न 12.07 बजे</u>

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव: माननीय अध्यक्ष महोदया, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

> "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 26 फरवरी, 2016 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 25 फरवरी, 2016 को हुई अपनी बैठक में पारित किए गए निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 2016 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

<u>अपराह्न 12.08 बजे</u>

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2016*

[हिन्दी]

सामाजिक न्याय और आधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: प्रश्न यह है:

> "कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

श्री थावर चंद गहलोत: मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र,असाधारण, भाग-2,खंड 2, दिनांक 01.03.2016 में प्रकाशित।

<u>अपराह्न 12.09 बजे</u>

(इस समय, श्रीमती रंजीत रंजन, श्री के.सी. वेणुगोपाल और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: क्या आप 'शून्यकाल' चाहते हैं? कृपया अपने स्थानों पर जाएं। मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं। आपको अपने स्थान पर जाना होगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको अनुमति दूंगी लेकिन आप अपने स्थान पर जाएं। यह कोई तरीका नहीं है। मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 12.09 ½ बजे</u>

(इस समय, श्री पी. नागराजन और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए।)

माननीय अध्यक्ष: मैंने बताया है कि सभी विशेषाधिकार नोटिस मेरे विचाराधीन हैं। यह कोई तरीका नहीं है। मुझे खेद है। हर कोई इसे उठा नहीं सकता।

[हिन्दी] रंजीत जी, मैंने आपका नोटिस भी रखा है। [अनुवाद] आप सदन की कार्यवाही चलने नहीं देना चाहती हैं। कृपया अपने स्थानों पर जाएं।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा नोटिस भी है।

… (*व्यवधान*)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभी विशेषाधिकार नोटिसों के संबंध में, मैंने आपका नाम भी ले लिया है। मैंने सभी का नाम लिया है। सभी विशेषाधिकार सूचनाएँ वहाँ हैं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: लेकिन आप अपने-अपने स्थान पर जाएं। तभी, मैं आपको अनुमति दूंगी, अन्यथा नहीं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आप सभी लोग कृपया अपनी सीटों पर जाइए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे किताब मत दिखाइए। मुझे मालूम है। मुझे खेद है। अपने स्थान पर जाएं। कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)… *

शहरी विकास मंत्री, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री एम. वेंकैया नायडू): महोदया, आपने कल उनको अनुमति दी थी। कल उन्हें अवसर दिया गया। वह एक व्यथित दल है।

माननीय अध्यक्ष: मुझे पता है।

श्री एम. वेंकैया नायडू: महोदया, आपने कल अनुमति दी है। पहले ही, आपने नाम लिए हैं।

माननीय अध्यक्ष: मैंने पहले ही अनुमति दे दी है। इसीलिए, मैंने सभी नाम लिए हैं। श्रीमती रंजीत रंजन का नाम भी है। विषय मेरे संज्ञान में है। ऐसा नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया आप अपनी सीटों पर जाइए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हां, डॉ. पी. वेणुगोपाल, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है। आप अपनी सीट्स पर जाइए।

… (*व्यवधान*)

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): महोदया, मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे के संबंध में स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिया है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर जाएं। यह तरीका नहीं है।

---

* कार्यवाही वृतांत में सम्मिलत नहीं कया गया।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: डॉ. पी. वेणुगोपाल, क्या आप बोलना चाहते हैं या नहीं? यह चलता रहेगा।

… (*व्यवधान*)

डॉ. पी. वेणुगोपाल : महोदया, सभा में व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: आपने इसे अव्यवस्थित किया है। अब वे ऐसा कर रहे हैं।

… (*व्यवधान*)

डॉ. पी. वेणुगोपाल : महोदया, सभा में व्यवस्था होनी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: आप बोलना चाहते हैं या नहीं?

… (*व्यवधान*)

डॉ. पी. वेणुगोपाल: महोदया, सभा में व्यवस्था होनी चाहिए। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा अपराह्न 2 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 12.12 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा अपराह्न दो बजे तक के लिए स्थगित हुई।

<u>अपराह्न 2.00 बजे</u>

लोक सभा अपराह्न दो बजे पुन: समवेत हुई।

(माननीय अध्यक्ष *पीठासीन हुईं)*

सदस्य द्वारा निवेदन

पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान के निवेश पर प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग द्वारा कथित प्रकटीकरण के बारे में

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष: अब, डॉ. वेणुगोपाल।

डॉ. पी. वेणुगोपाल (तिरुवल्लूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री के पुत्र के स्वामित्व वाले प्रतिष्ठान द्वारा किए गए भारी निवेश और अचल संपत्ति अधिग्रहण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामले के संबंध में स्थगन प्रस्ताव लाने के लिए एक सूचना दी है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मैंने कोई नाम नहीं बताया है। मैंने अभी 'पूर्व वित्त मंत्री' कहा है। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है।

डॉ. पी. वेणुगोपाल : महोदया, एयरसेल-मैक्सिस डील, जो 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले का एक हिस्सा है, के माध्यम से पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व डी.एम.के. मंत्रियों द्वारा संयुक्त लूट को साबित करने के लिए भारत की विधि-प्रवर्तन एजेंसियों के पास बहुत सारे नए सबूत उपलब्ध हैं, ।

हालांकि, आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र के परिसर से बहुत पहले कई दस्तावेज जब्त किए गए थे, लेकिन वर्तमान सरकार और उनके प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी

की निष्क्रियता राष्ट्र के लिए एक कठोर झटका है। प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग के दस्तावेजों से पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र द्वारा दुनिया के कई हिस्सों में अवैध रूप से किए गए भारी निवेश की पुष्टि हुई है।

एयरसेल-मैक्सिस डील में पूर्व वित्त मंत्री के परिवार की भागीदारी और इसके माध्यम से प्राप्त भारी वित्तीय लाभ का विवरण सरकार के पास लंबे समय से पड़ा हुआ है। लेकिन, आश्चर्य की बात यह है कि या तो भारत के प्रधान मंत्री को सरकार के पास उपलब्ध सबूतों के बारे में अंधेरे में रखा गया है या वे लुटेरों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से संकोच कर रहे हैं।

डी.एम.के. द्वारा आयोजित एयरसेल-मैक्सिस घोटाले के माध्यम से पूर्व वित्त मंत्री के परिवार द्वारा अर्जित लाखों डॉलर का उपयोग बड़ी मात्रा में कृषि भूमि, खेल सुविधाओं के अधिग्रहण, कई देशों में रियल एस्टेट और अन्य कंपनियों में निवेश के लिए किया गया है, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, श्रीलंका और दुबई शामिल हैं।.... (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया बैठ जाएं। उन्हें अपनी बात पूर्ण करने दीजिए।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष : उन्होंने कोई नाम नहीं लिया है।

… (*व्यवधान*)

डॉ. पी. वेणुगोपाल: एयरसेल-मैक्सिस घोटाले में शामिल पूर्व वित्त मंत्री और पूर्व डी.एम.के. मंत्रियों से संबंधित जांच और मुकदमे की धीमी प्रगति से यह आभास होता है कि एन.डी.ए. और सरकार की विभिन्न एजेंसियों के भीतर ऐसी ताकतें हैं जो पूरी प्रक्रिया को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं जिससे अपराधियों को कई सौ करोड़ रुपये की लूट के साथ भागने में मदद मिलती है। ... (*व्यवधान*)

पूर्व वित्त मंत्री ने यू.पी.ए. शासन के दौरान विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफ.आई.पी.बी.) की मंजूरी के माध्यम से पूर्व डी.एम.के. दूरसंचार मंत्री की मिलीभगत से तमिलनाडु के एक व्यवसायी से एयरसेल टेलीकॉम को जबरन हासिल करने के लिए मलेशियाई टेलीकॉम दिग्गज मैक्सिस को सुविधा प्रदान की। … (*व्यवधान*)

पूर्व केंद्रीय मंत्रियों की संयुक्त लूट से इन पूर्व मंत्रियों के परिवारों को कई हजार करोड़ की अवैध संपत्ति प्राप्त हुई है। … (*व्यवधान*)

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदया, हम माननीय मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वे आएं और सदन को आश्वस्त करें। … (*व्यवधान*)

महोदया, हम चाहते हैं कि वे आश्वस्त करें कि दोषियों को क्षमा नहीं किया जाएगा और उन पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। … (*व्यवधान*) हम केवल माननीय प्रधान मंत्री जी को चाहते हैं ... (*व्यवधान*) हम चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री सदन में आकर वक्तव्य दें। … (*व्यवधान*)

<u>अपराह्न 2.05 बजे</u>

(इस समय, श्रीमती वी. सत्यबामा और कुछ अन्य माननीय सदस्य आगे आकर सभा पटल के निकट खड़े हो गए।)

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: यह सब क्या है? अब कुछ भी कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

… (*व्यवधान*)... *

माननीय अध्यक्ष: आपका यह व्यवहार सही नहीं है। मैंने उन्हें पूरी बात बोलने की अनुमति दी है।

… (*व्यवधान*)

---

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय अध्यक्ष: नहीं, मुझे खेद है। यह कोई तरीका नहीं है ।

… (*व्यवधान*)

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजीव प्रताप रूडी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, यह जो मुद्दा उन्होंने उठाया है, इससे सदस्य आक्रोशित हैं और यह भ्रष्टाचार का मामला है, जो उठाया गया है और मीडिया में भी आया था। … (*व्यवधान*)

महोदया, हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि यदि वे एक मौलिक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं जिस पर आपके द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है, तो हम इस विषय पर कोई भी चर्चा करने के लिए तैयार होंगे। इस बिंदु के संबंध में कि वे कह रहे हैं कि सरकार ने कार्रवाई नहीं की, मेरा मानना है कि यह मामला भी, अगर मैं गलत नहीं हूं, उच्चतम न्यायालय की निगरानी में है और जांच चल रही है। सरकार किसी भी गलत काम करने वाले को बचाने के लिए नहीं है। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। … (*व्यवधान*)

मेरा मानना है कि ए.आई.ए.डी.एम.के. दल के माननीय सदस्यों को इस विषय पर बहस के लिए सहमत होना चाहिए। हम इसे स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। सरकार, वित्त मंत्री निश्चित रूप से वापस आएंगे और इसका जवाब देंगे। इसलिए, माननीय सदस्यों से मेरी बस इतनी ही अपील है कि वे अपने-अपने स्थान पर वापस चले जाएं क्योंकि उन्हें माननीय आपके द्वारा मुद्दा उठाने की अनुमति दे दी गई है। मुझे लगता है, यह अनुरोध है - हम क्या कर रहे हैं। … (*व्यवधान*)

एन.डी.ए. सरकार के जागरूक न होने, सक्रिय न होने या कार्रवाई न करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। कानून के अन्तर्गत जो भी उचित होगा, हम करेंगे। … (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने उन्हें मामले को उठाने की अनुमति दी है। अब आपको अपनी सीटों पर वापस जाना होगा।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलें भी और फिर सदन को बाधित भी करें। मुझे कोई कागज मत दिखाइए। कागज दिखाना कुछ नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने उन्हें मामले को उठाने की अनुमति दी है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैं आपको न्याय नहीं दे सकती।

जैसे ही उन्होंने मामला उठाया, मैंने आपको न्याय दिया है। अब कृपया अपनी सीटों पर चले जाइये। उन्होंने मामला उठाया है और न्याय हुआ है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सरकार उत्तर देने के लिए तैयार है, लेकिन उचित तरीके से, उचित नियम के तहत, आपको इसकी मांग करनी होगी।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: ऐसा नहीं है। आप सभा को बाधित कर रहे हैं। मुझे खेद है।

<u>अपराह्न 2.08 बजे</u>

<u>नियम 377 के अधीन मामले</u>

(अनुवाद)

माननीय अध्यक्ष : अब, नियम 377 के अधीन मामले -श्रीमती नीलम सोनकर।

(एक) उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में एक आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती नीलम सोनकर (लालगंज) : माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं उस ऐतिहासिक पल को याद करते हुए, जब नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने नवम्बर 1941 में रंगून से रेडियो के द्वारा भारतीयों को संबोधित कर स्वतंत्रता संग्राम को ताकत प्रदान करने का काम किया था, रेडियो के महत्व व इसकी पिछड़े व ग्रामीण क्षेत्रों में महत्व की बात रखना चाहती हूं। ...(व्यवधान)

आकाशवाणी गांवों में गरीब किसान, नौजवान, छात्र सभी को संचार व बाकी दुनिया से जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली, केबल कनेक्शन, इंटरनेट व परिवहन के अभाव में सुदूर इलाकों में देश दुनिया की खबरों, खेल, किसानों के लिए मौसम का हालत तथा संगीत का सबसे प्रभावी माध्यम रेडियो है। ...(व्यवधान)

मैं कहना चाहती हूं कि बहुपयोगी, सस्ता और सशक्त संचार का साधन होने के बाद भी पूर्वांचल का केन्द्र आजमगढ़ आज भी आकाशवाणी केन्द्र की सुविधा से वंचित है। ...(व्यवधान)

आजमगढ़ शिक्षा, साधना, संस्कृति और कला का सदैव से केन्द्र रहा है। यह पं. श्यामनारायण पाण्डेय, राहुल संस्कृत्यायन, शिबली नोमानी और अयोध्या सिंह उपाध्याय "हरिऔध" की धरती है। पं. छन्नू लाल मिश्र का मशहूर घराना हरिहरपुर की धरती आजमगढ़ ही है। लेकिन शिक्षा और संचार के उचित और पर्याप्त माध्यम

न होने से इस क्षेत्र मात्र की धरोहरों व इसकी प्रतिभा को विकसित होने का मौका नहीं मिला। क्षेत्र की जनता बाकी दुनिया तो दूर स्वयं के क्षेत्र की भी पूरी जानकारी नहीं ले पाती। ...(व्यवधान)

मैं अध्यक्ष जी के माध्यम से सदन में भारत सरकार से मांग करती हूं कि किसानों, छात्रों व ग्रामीण जनता के हित व क्षेत्र के सतत विकास के लिए आजमगढ़ में उच्च क्षमता का आकाशवाणी केन्द्र स्थापित किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं विश्वास करती हूं कि जल्दी सुनने को मिलेगी कि "यह आकाशवाणी आजमगढ़ है" यह आजमगढ़ की जनता की "मन की बात है।"

... (व्यवधान)

(दो) राजस्थान के उदयपुर में एक पासपोर्ट सेवा केन्द्र की स्थापना शीघ्र किए जाने की आवश्यकता

श्री अर्जुन लाल मीणा (उदयपुर): महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र उदयपुर राजस्थान में 03 फरवरी, 2016 को विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट सेवा केन्द्र खोलने की स्वीकृति प्रदान की थी, इस हेतु विभिन्न स्तर पर कार्यवाही चल रही है, परन्तु कुछ सरकारी आधिकारियों की उदासीनता के कारण अभी तक प्रशासनिक व औपचारिक आदेश जारी नहीं हो सके हैं। उदयपुर नगर निगम द्वारा विदेश मंत्रालय को पासपोर्ट सेवा केन्द्र हेतु सौंपे गए भवन को पासपोर्ट सेवा केन्द्र के अनुकूल ही तैयार कर दिया गया है। अतः मैं सरकार से मांग करता हूं कि आतिशीघ्र प्रशासनिक व औपचारिक आदेश जारी करायें तथा एक तकनीकी टीम उदयपुर भेजकर शीघ्र ही पासपोर्ट सेवा केन्द्र शुरू करायें ताकि उदयपुर संभाग की आम जनता को अपने पासपोर्ट बनवाने की सुविधा जल्दी और सुलभ मिल सके।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री चांद नाथ - अनुपस्थित।

(तीन) देश के कपास उत्पादक किसानों के कल्याण हेतु कदम उठाए जाने की आवश्यकता

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): महोदया, मैं सदन के माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु आदि जैसे राज्यों में आत्महत्या कर रहे कपास के किसानों की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं। जैसा कि हम सबको विदित है समय के साथ जनसंख्या बढ़ने के साथ कृषि लायक जमीनों पर दबाव काफी बढ़ रहा है और साथ ही प्रति व्यक्ति जोतों का आकार भी काफी कम हुआ है। मैं आपके माध्यम से माननीय वस्त्र राज्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि वे इन क्षेत्रों में प्रचलित पारम्परिक हस्तशिल्पों का सर्वे तथा अध्ययन कराएं तथा किसानों को संगठित रूप से सुविधाएं मुहैया कराई जाएं जिससे वह घर बैठकर हस्तशिल्प का उत्पादन कर सकें। साथ ही उनको सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध करावाएं तथा उन्हें अपने उत्पादकों को बेचने के लिए मार्किट लिंकेज भी उपलब्ध करवाएं जिससे कृषि क्षेत्र पर आधारित जनसंख्या का दबाव कम हो सके तथा लोगों को आजीविका के अन्य विकल्प मिल सकें। इससे किसानों को मौसम की आस्थिरता की मार को भी नहीं झेलना पड़ेगा।...(व्यवधान)

(चार) बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत निधियों में कथित अनियमितताओं की जांच किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती रमा देवी (शिवहर): अध्यक्ष जी, मैं सदन का ध्यान बिहार के स्कूलों में मध्याह्न भोजन में हो रही आनियमितताओं की तरफ दिलाना चाहती हूं। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति को ज्यादा संख्या में बताकर कथित रूप से केन्द्रीय योजना का दुरुपयोग किया जा रहा है। मिसाल के तौर पर सीतामढ़ी जिले में बच्चों की जनसंख्या 6 लाख 65 हजार 640 है, जबकि स्कूलों में नामांकन 6 लाख 67 हजार 106 बच्चों का किया हुआ है। खगड़िया जिले में बच्चों की संख्या 3 लाख 50 हजार 53 है परन्तु नामांकन 3 लाख 69 हजार 106 बच्चों का दिखाया गया है। किशनगंज में 3 लाख 43 हजार 963 बच्चों की जनसंख्या है जबकि नामांकन 3 लाख 94 हजार 897 बच्चों का है। गया जिले में 8 लाख 58 हजार 934 बच्चे हैं जबकि नामांकन में उनकी संख्या 8 लाख 71 हजार 428 दिखायी गयी है। इसमें सीतामढ़ी मेरे संसदीय क्षेत्र का एक जिला है। इन जिलों के बच्चों में आधे से ज्यादा पब्लिक स्कूलों में पढ़ रहे हैं। इस तरह से बच्चों की आधिक संख्या को बताकर लाखों बच्चों के मध्याह्न भोजन योजना हेतु मिली राशि के प्रयोग में आनियमिततायें बरती जा रही हैं। खेद की बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में ऐसे हथकंडे अपनाये जा रहे हैं जहां पर शिक्षा का स्तर नीचा है और बिहार के विकास के लिए शिक्षा के स्तर को सुधारने की आति आवश्यकता है। पूरे बिहार में इस मध्याह्न भोजन के तहत हो रही आनियमितताओं को रोका जाए, इसकी जांच जनहित में आति आवश्यक है। मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि बिहार में मध्याह्न भोजन योजना में हो रही आनियमिताओं की जांच की जाए और दोषी आधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।...(व्यवधान)

(पांच) जम्मू और कश्मीर में विश्नाह, नौशेरा एवं पुंछ में केन्द्रीय विद्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री जुगल किशोर (जम्मू): अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से मानव संसाधन विकास मंत्री जी एवं मंत्रालय का ध्यान जम्मू क्षेत्र की ओर दिलाना चाहता हूं। निम्न स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलने की आति आवश्यकता है --

1) विश्नाह जिला जम्मू

2) नौशेरा जिला राजौरी

3) पुंछ जिला पुंछ

इन तीन स्थानों पर केन्द्रीय विद्यालय खोलना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां पर स्थानीय लोग रोज ही धरने प्रदर्शन कर रहे हैं। इसलिए आपके माध्यम से प्रार्थना है कि यहां पर जल्द केन्द्रीय विद्यालय खोलने की घोषणा करें। ...(व्यवधान)

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: श्री नारणभाई काछड़िया - उपस्थित नहीं; श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा - उपस्थित नहीं।

श्री महेश गिरी ।

(छह) पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महेश गिरी (पूर्वी दिल्ली): अध्यक्ष महोदया,दिल्ली के बाकी क्षेत्रों की तरह ही पूर्वी दिल्ली में आवागमन तथा ट्रैफिक संबंधी समस्याएं बहुत ज्यादा हैं तथा पूर्वी दिल्ली और बाकी दिल्ली के बीच यमुना नदी पर स्थित पुल कनेक्टिंग चैनल है जो कि बॉटल नेक बन जाते हैं। [हिन्दी] यदि किसी भी क्षेत्र में कोई प्राकृतिक आपदा हो जाए या कोई आगजनी की घटना हो जाए या किसी भी कारणवश रोड ट्रांसपोर्ट के रूट डिस्टर्ब हो जाएं तो ऐसी घनी आबादी को तो राहत संबंधी सामग्री या मैडिकल सर्विस पहुंचाना सिर्फ एयर ट्रांसपोर्ट के माध्यम से ही संभव है। 50 लाख की आबादी के साथ यह केवल एक दिल्ली का हिस्सा नहीं है, बल्कि किसी अंतर्राष्ट्रीय मानदंड के अनुसार देखें तो यह अपने आप में एक बड़े शहर जितना है। अब यहां एक हवाई अड्डा तो बनाना संभव नहीं है, परन्तु इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे अनुसार पूर्वी दिल्ली में एक हैलिपैड का होना आति आवश्यक है। हैलीपैड की उपलब्धता से यह सुनिश्चित होगा कि यदि कोई प्राकृति आपदा आती है तो हैलीकाप्टर द्वारा राहत सामग्री आसानी से पहुंचाई जा सके तथा प्रधान मंत्री अथवा राष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तियों के आवागमन में ना तो आम जनता को ट्रैफिक की समस्या से जूझना पड़े और ना ही इन विशेषाधिकृत व्यक्तियों को। अतः मैं सदन के समक्ष पूर्वी दिल्ली में हैलीपैड निर्माण के लिए निवेदन करता हूं...(व्यवधान)

(सात) उत्तर प्रदेश के कैराना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सभी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं से सुसज्जित अस्पताल की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

श्री हुकुम सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदया, विगत 4 महीनों से देश के आधिकांश भांगों में डेंगू का भयंकर प्रकोप रहा है। राजधानी दिल्ली में भी हजारों लोग इससे प्रभावित हुए तथा बहुत बड़ी संख्या में लोगों की मौत भी हुई। मेरा लोक सभा क्षेत्र कैराना भी डेंगू रोग से ग्रसित हुआ और सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो गई। स्थानीय स्तर पर इलाज की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। निजी क्षेत्र के चिकित्सकों ने स्थिति का अनुचित लाभ उठाते हुए प्रभावित परिवारों का भरपूर शोषण भी किया। अभी तक भी गांवों में डेंगू का प्रभाव मौजूद है। इसके आतिरिक्त प्रदूषित जल एवं मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण हजारों की संख्या में लोग हृदय रोग से लेकर टी.बी. तथा कैंसर के रोगों से ग्रसित हैं। क्षेत्र के कैराना, शामली, थानाभवन, नकुड़, गंगोह में आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक भी चिकित्सालय नहीं है। गरीब लोगों के लिए निजी चिकित्सालयों में इलाज कराना संभव नहीं हो पा रहा है। अतः बीमारी का शिकार होकर लोग मौत के मुंह में जाने को मजबूर हैं।

मेरा सरकार से आग्रह है कि उपरोक्त किसी भी स्थान पर सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित चिकित्सालय की आविलम्ब स्थापना की जाए, ताकि लाखों लोगों की गंभीर रोगों से रक्षा की जा सके। धन्यवाद।...(व्यवधान)

(आठ) राजस्थान के मकराना शहर को अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री सी.आर. चौधरी (नागौर) : अध्यक्ष महोदया, मैं सर्वप्रथम माननीय प्रधान मंत्री जी एवं माननीय शहरी विकास मंत्री का आभिनंदन करना चाहूंगा कि उन्होंने शहरों के विकास हेतु "स्मार्ट सिटी " एवं "अमृत योजना" योजना प्रारंभ की है। देश के 100 शहरों में स्मार्ट सिटी योजना लागू कर सर्वांगीण विकास का मार्ग सुलभ किया है। इसी प्रकार वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार एक लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरों में जहां पर कि नगर परिषदें कार्य कर रही हैं, वहां " अमृत योजना " प्ररंभ की गयी है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरे लोक सभा क्षेत्र में "मकराना " शहर विश्वप्रसिद्ध सिटी है। यहां का संगमरमर विश्व में सबसे अच्छी श्रेणी का है एवं विश्वप्रसिद्ध "ताजमहल " यहीं के संगमरमर से बना हुआ है। [हिन्दी] आज भी संपूर्ण भारत में यहीं का पत्थर भव्य इमारतों में काम आ रहा है। दूसरा यह है एक ऐसा शहर है, जाहं पर अलपसंख्यकों की जनसंख्या 50 प्रतिशत से आधिक है एवं धार्मिक सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। ...(व्यवधान)

सन् 2011 से पूर्व इस शहर में नगरपालिका थी। 2011 की जनगणना के पश्चात् नगरपरिषद बनी। [अनुवाद] इसका प्रमुख कारण है कि मकराना के शहरी संकुलन की जनसंख्या 2011 में 1.16 लाख थी। इस शहर को "अमृत योजना " में मानकर यहाँ के आधिकारियों को राज्य स्तर की बैठकों में बुलाया जाता रहा। [हिन्दी] परंतु बाद मे शहर की जनसंख्या सन् 2011 में 96000 बता कर अमृत योजना से बाहर कर दिया गया। इस संबंध में मैंने माननीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री जी से व्यक्तिगत अनुरोध किया।

माननीय अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके मार्फत माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि विश्वप्रसिद्ध शहर मकराना (राजस्थान) जिसमें कि अल्पसंख्यक ज्यादा रह रहे हैं एवं राज्य को अच्छी आय जहां से प्राप्त हो रही है, उसको अमृत योजना वाले शहर की सूची में स्थान दिया जाए। ...(व्यवधान)

(नौ) हिन्दी भाषा में मोबाइल एसएमएस भेजने की दर को कम किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.पी. चौधरी (पाली) : महोदया, आज का युग मोबाइल क्रांति का है। हम अपने संदेश एक दूसरे के पास एस.एम.एस./वाट्सऐप्प व ई-मैसेज के रूप में भेज सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के आधिकांश लोग इंटरनेट सुविधा का इस्तेमाल नहीं करते, वे आज भी एस.एम.एस. सुविधा का इस्तेमाल इंटरनेट के माध्यम से भेजे जाने वाले मैसेज से कहीं ज्यादा करते हैं। मौसम विभाग भी किसानों को मौसम संबधी जानकारी देने के लिए एस.एम.एस. सुविधा का इस्तेमाल कर रहा है। एस.एम.एस. हिंदी, अंग्रेजी व अन्य देशों की भाषा में भेजा जाता है। [अनुवाद] ग्रामीण क्षेत्रों के लोग इस सेवा का उपयोग अंग्रेजी भाषा में नहीं कर पाते, कारणवश उन्हें अपना संदेश हिंदी में ही लिखना पड़ता है। ...(व्यवधान)

एस.एम.एस. सुविधा को छोड़ कर मोबाइल की सभी सेवाओं में किसी भी भाषा का प्रयोग करने पर एक समान चार्ज लगता है, हिदीं एस.एम.एस. की कीमत अंग्रेजी के अपेक्षा अधिक चुकानी पड़ती है, जिसका कारण स्पष्ट है कि प्रत्येक हिंदी के शब्द को बनाने में मात्राओं को अलग की-स्ट्रोक गिनने के कारण आधिक की-स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर भारत के ग्रामीण क्षेत्रों मे यह देखा जाना आम है कि अंग्रेजी में आए एस.एम.एस. को पढ़वाने के लिए दूसरों के पास जाना पड़ता है। ...(व्यवधान)

आज हमारी सरकार पिछले कई वर्षों से हिंदी को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। यह प्रयास पिछले कई दशकों से चलते आए हैं। प्रत्येक मंत्रालय व विभागों में प्रतिवर्ष हिंदी पखवाड़े का आयोजन भी किया जाता है। बैंकों को भी हिंदी भाषा का प्रयोग करने के निर्देश समय-समय पर दिए जाते रहे हैं। पिछले दशकों में कई करोड़ रूपये की धनराशि हिंदी भाषा को बढ़ाने के लिए खर्च की जा चुकी है। ...(व्यवधान)

मेरा सदन के माध्यम से माननीय सूचना और संचार मंत्री जी से अनुरोध है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के क्रम में हिंदी भाषा के एस.एम.एस. [अनुवाद] के शुल्क को आधा करने हेतु मोबाईल नेटवर्क कंपनियों को निर्देश जारी करने की कृपा करें, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बसे लोगों को उनकी मातृ भाषा का लाभ आसानी से तथा कम दर पर मिल सके। ...(व्यवधान)

(दस) देश में विशेषतः महाराष्ट्र में अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को नौकरियों और शिक्षण संस्थाओं में अनिवार्य 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री नाना पटोले (भंडारा-गोंदिया) : महोदया, देश में भारतीय संविधान की धारा 340 के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रवर्ग के लिए आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक आधिकार है। ओबीसी, इस पिछड़ा वर्ग के समाज को मंडल आयोग के अनुसार 27 फीसदी आरक्षण का हकदार होने पर भी केन्द्र सरकार से आरक्षण उपलब्ध कराने में अनदेखी हो रही है। 27 फीसदी आरक्षण होने के बावजूद भी देश में ओबीसी समाज के लिए 19 फीसदी आरक्षण देने के सरकारी रिकार्ड दर्ज हैं। इससे ओबीसी समाज को पूरी तरह आरक्षण का लाभ नहीं देने की बात सामने आयी है। शैक्षणिक क्षेत्रों में विद्यार्थियों को प्रवेश, डोमिसाइल, क्रीमी लेअर आदि प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने में पर्याप्त आरक्षण एवं अन्य सुविधा ना देने से उन पर अन्याय हो रहा है। गत 6 वर्ष से महाराष्ट्र के विद्यार्थियों को शिष्यवृत्ति अनुदान राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। उसके परिणामस्वरूप लाखों विद्यार्थियों का शैक्षणिक नुकसान होकर भविष्य खराब हुआ है। सरकारी नौकरी में पदोन्नति संबंधी आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। महाराष्ट्र के गड़चिरौली जिले में ओबीसी समाज को 6 फीसदी आरक्षण दिया जाता है। इस तरह देश में कई राज्यों में ओबीसी समाज पर अन्याय हो रहा है। वर्ष 1931 से अभी तक इस समाज की जनगणना नहीं होने से उनका विकास नहीं हुआ है। इसलिए इस अन्यायग्रस्त पिछड़े वर्ग के ओबीसी समाज को संवैधानिक आधिकार प्राप्त होने के लिए स्वतंत्र मंत्रालय स्थापित करके केन्द्र सरकार द्वारा शीघ्रता से कार्यवाही कराने की आवश्यकता है।...(व्यवधान)

(ग्यारह) बिहार के वाल्मीकि नगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंडई नदी से पत्थर चुनने की अनुमति दिए जाने की आवश्यकता

श्री सतीश चंद्र दुबे (वाल्मीकि नगर): महोदया, मेरे संसदीय क्षेत्र वाल्मीकी नगर के प्रखंड गौनाहा के भिखनाठोरी स्थित पंडई नदी में पत्थर चुनने का काम पिछले कई सालों से बन्द है, जिसके कारण यहाँ के हजारों लोग भुखमरी के कगार पर हैं। उनके सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। यहाँ मजदूरों के द्वारा हाथ से पत्थर चुना जाता है। यह पत्थर नेपाल से नदियों के द्वारा बहकर आता है। पत्थर नहीं निकाले जाने के कारण नदी का पेट भर जाता है, जिसके कारण हजारों एकड़ वनों को नुकसान हो जाता है और कीमती लकड़ियों को भी नुकसान होता है। यह टाइगर प्रोजेक्ट से तीन किलोमीटर दूर स्थित है।

अतः इस आति महत्वपूर्ण विषय पर आप अपना संज्ञान लें और जल्द से जल्द एन.ओ.सी. दिलाने की कृपा करें। हाथ से पत्थर चुनने की परमीशन दी जाए, ना कि विस्फोट के द्वारा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिल सके।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : डॉ. अंशुल वर्मा।

डॉ. रमेश पोखरियाल जी।

(बारह) उत्तराखंड में हरिद्वार के निवासियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): महोदया, मैं आपका ध्यान हरिद्वार संसदीय क्षेत्र के शहरी/ग्रामीण इलाकों में दूषित पेयजल द्वारा होने वाली गंभीर बीमारियों की तरफ दिलाना चाहता हूँ।

महोदया, हरिद्वार जो कि योग और अध्यात्म की अंतर्राष्ट्रीय राजधानी के रूप में विख्यात है, आज दूषित पेयजल के गंभीर संकट से गुजर रहा है। जनपद हरिद्वार में लोग दूषित पेयजल पीने को मजबूर हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं। हरिद्वार जिले का खानपुर ब्लॉक विशेष रूप से प्रभावित है। भारूवाला, कर्णपुर आदि गाँवों के सैंकड़ों लोगों के हेपेटाइटिस-सी से ग्रसित होने की पुष्टि हुई है। सभी लोग आर्थिक रूप से अत्यंत पिछड़े हैं और महँगा इलाज करवाने में सर्वथा असमर्थ हैं। रक्त परीक्षण कराने के लिए भी इन्हें महंगे निजी चिकित्सालयों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं।

महोदया, इस सदन के माध्यम से मेरा सरकार से अनुरोध है कि जनपद हरिद्वार के पेयजल का परीक्षण करवाकर उसकी गुणवत्ता में सुधार किए जाने हेतु तुरन्त व्यापक कदम उठाये जाएं। इसके आतिरिक्त समस्त पीड़ित व्यक्तियों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा भी उपलब्ध करायी जानी चाहिए।...(व्यवधान)

(तेरह) गुजरात के बारडोली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में डाक भवनों की स्थिति में सुधार किए जाने और पर्याप्त डाक कर्मचारियों की नियुक्ति किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा (बारडोली) : अध्यक्ष महोदया, भारत सरकार का एक उपक्रम डाक विभाग वर्तमान समय में बहुत ही दयनीय स्थिति में चल रहा है। कहीं पर स्टाफ की कमी है और कहीं पर भवन की हालत जर्जर स्थिति में है। आज भी मृतकों के आश्रित बहाली के लिए लंबी कतार में हैं परन्तु उनकी बहाली नहीं हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप मृतक के आश्रित परिवार भुखमरी के कगार पर पहुँच गए हैं। मेरे संसदीय क्षेत्र बारडोली जिला-सूरत, गुजरात के आदिवासी कस्बों और ग्रामीण क्षेत्रों में डाक भवन की स्थिति काफी खराब है तथा कर्मचारी की कमी की वजह से वहाँ की ग्रामीण जनता को कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है।

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करता हूँ कि डाक विभाग की सुविधा को सुधारने हेतु आवश्यक कदम उठाने की कृपा करें।

(चौदह) केरल राज्य के सबरीमाला मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य को विशेष वित्तीय पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

(अनुवाद)

श्री कोडिकुन्नील सुरेश (मावेलीक्करा): माननीय अध्यक्ष महोदय, केरल में 27 वार्डों और 30,000 से अधिक आबादी वाला चेंगन्नूर नगरपालिका सबरीमाला का प्रवेश द्वार है। हालांकि चेंगन्नूर की जनसंख्या 30,000 है, लेकिन सबरीमाला तीर्थयात्रा मौसम के दौरान तीन करोड़ श्रद्धालु चेंगन्नूर को अपने पारगमन बिंदु के रूप में उपयोग करते हुए सबरीमाला जाते हैं। चेंगन्नूर नगरपालिका को अपनी यात्रा के दौरान तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने में कठिनाई हो रही है। नगरपालिका को तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशाल बुनियादी ढांचा सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे पेयजल सुविधाएं, जल निकासी प्रणाली, शौचालय, स्नानघर, कचरा निपटान प्रणाली, तालुक अस्पताल को अपग्रेड करना, पर्याप्त प्रकाश और बिजली प्रदान करना, तीर्थयात्रियों के अल्पकालिक प्रवास के लिए शयनगृह और यात्री निवास आदि। श्रद्धालु पंबा नदी पर स्नान करते थे जहां उचित प्रकाश व्यवस्था और स्नान घाटों के निर्माण की आवश्यकता है। चेंगन्नूर महादेव मंदिर में एक तालाब है जिसे घाटों के साथ पुनर्निर्मित करने की भी आवश्यकता है। सबरीमाला जाने वाले आने वाले तीर्थयात्रियों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के लिए, भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा चेंगन्नूर नगरपालिका को 250 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज को मंजूरी दी जा सकती है।

(पंद्रह) केरल के तिरूवनन्तपुरम में प्रस्तावित राष्ट्रीय औषध पादप संस्थान की स्थापना किए जाने की आवश्यकता

डॉ. शशि थरूर (तिरूवनन्तपुरम): माननीय अध्यक्ष महोदया, केरल आयुर्वेद के पारंपरिक ज्ञान और औषधीय पौधों एवं जड़ी बूटियों से जुड़ी संबंधित प्रथाओं के लिए जाना जाता है।

भारत में आयुर्वेद का उद्गम केरल ही है और इसी क्षमता को स्वीकार करते हुए आयुष मंत्रालय केरल में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान की स्थापना पर विचार कर रहा है।

इस संस्थान का उद्देश्य सरकार के 'आयुर्वेद विजन 2020' का अनुसरण करना है। आदर्श रूप से, संस्थान को केरल की राजधानी, तिरूवनन्तपुरम में स्थापित किया जाना चाहिए, जहां प्रसिद्ध सरकारी आयुर्वेद कॉलेज भी स्थित है।

केरल सरकार के राज्य औषधीय पादप बोर्ड ने प्रस्तावित संस्थान पर एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन पहले ही सरकार के समीक्षा के लिए प्रस्तुत कर दिया है।

मैं आपसे आग्रह करता हूं कि प्रतिवेदन को मंजूरी दीजिए और तिरूवनन्तपुरम में राष्ट्रीय औषधीय पादप संस्थान स्थापित करने के लिए 50 लाख रुपये की प्रारंभिक राशि जारी की जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्रीमती आर. वनरोजा --- उपस्थित नहीं

श्री एस.आर. विजयकुमार --- उपस्थित नहीं

श्री दिनेश त्रिवेदी --- उपस्थित नहीं

श्री सुल्तान अहमद --- उपस्थित नहीं

(सोलह) ओडिशा सरकार को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत केन्द्रीय सहायता की बकाया राशि जारी किए जाने की आवश्यकता

श्री नागेन्द्र कुमार प्रधान (संबलपुर): जैसा कि आप जानते हैं कि ओडिशा सरकार समाज के कमजोर वर्गों, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देती रही है। मैं आपका ध्यान इस मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि केंद्रीय कल्याण मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के लिए जारी केंद्रीय सहायता वर्ष 2014-2015 से ही अत्यधिक अपर्याप्त रही है। इससे उक्त मंत्रालय से प्राप्त बकाया राशि में भारी वृद्धि हुई है और वर्ष 2014-15 में बकाया राशि 121.17 करोड़ रुपये हो गई है।

चूंकि वास्तविक आवश्यकता के अनुसार केंद्रीय सहायता राशि की प्राप्ति में भारी अंतर न केवल आर्थिक रूप से गरीब अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए कठिनाई पैदा कर रहा है बल्कि असहाय छात्रों की शिकायतों के प्रबंधन में राज्य सरकार के लिए गंभीर चुनौतियां भी पैदा कर रहा है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि अनुसूचित जाति के छात्रों का बकाया राशि उन्हें प्रभावित न करे, राज्य सरकार ने वर्ष 2015-16 की बकाया राशि के दावे को पूरा करने के लिए वर्ष 2014-15 के अपने बजट प्रावधान से व्यय किया है। इससे आप समझ सकते हैं कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति के छात्रों की समस्याओं को लेकर कितनी चिंतित है।

इसलिए, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत ओडिशा सरकार को बकाया राशि जारी की जाए।

(सत्रह) भारत के राष्ट्रगान में 'सिंधु' शामिल किए जाने की समीक्षा तथा उपयुक्त संशोधन किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान यह राष्ट्र के सम्मान के विषय हैं। हम सब भारतीय परम आदरणीय रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ राष्ट्रगान गाते हैं।

यह राष्ट्रगान संसद ने 24 जनवरी, 1950 में पारित किया। उस वक्त इस राष्ट्रगान में दूसरी पंक्ति पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल बंग है। इस पंक्ति को हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा इस तरह से गाते हैं। जबकि संसद ने पारित किए हुए राष्ट्रगान में 'सिंधु' यह शब्द है। संसद ने यह बदलाव पूरे विचार से किया था। सिंध नाम का कोई प्रांत हिन्दुस्तान में आज नहीं है और संसद द्वारा पारित किए हुए इस राष्ट्रगान को बदलने का आधिकार संसद के सिवाय अन्य किसी को नहीं। इसलिए इस महत्वपूर्ण विषय पर मैं आपके माध्यम से राष्ट्रगान में सही शब्दों का बदलाव करने की मांग करता हूं।

(अठारह) तेलंगाना के किसानों से एमएसपी की दर से मक्का खरीदे जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री चामाकुरा मल्ला रेड्डी (मलकाजगिरी): तेलंगाना में किसानों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और कम पैदावार और खरीद के कारण उन्हें बहुत नुकसान हुआ है। तेलंगाना में खेती बहुत विविध नहीं है। राज्य में कृषि योग्य भूमि के लगभग 80% में किसानों द्वारा मक्का उगाया जाता है। भारत सरकार धान जैसी कई फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देकर खरीदती है, लेकिन तेलंगाना के किसान वर्षा और मिट्टी की खराब स्थिति के कारण ज्यादातर मक्का जैसे मोटे अनाज का उत्पादन करते हैं। मक्का तेलंगाना का मुख्य भोजन है और यह मवेशियों के लिए चारा और स्टार्च उद्योग का एक महत्वपूर्ण घटक भी है। इनमें से अधिकांश किसान बहुत गरीब हैं और उनके पास बहुत कम भूमि है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इन किसानों से एमएसपी पर मक्का की खरीद शुरू की जाए।

(उन्नीस) लग्जरी ट्रेन महाराजा एक्सप्रेस की सेवाओं का उपयोग करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए इस ट्रेन के किराए को भारतीय रुपए में तय किए जाने की आवश्यकता

श्री ए. पी. जितेन्द्र रेड्डी (महबूबनगर): भारतीय नागरिकों के लाभ के लिए प्रसिद्ध पर्यटक लग्जरी ट्रेन 'महाराजा एक्सप्रेस' का किराया भारतीय रुपये में तय करने की आवश्यकता के बारे में।

महाराजा एक्सप्रेस, जो भारत की श्रेष्ठ और सबसे महंगी लग्जरी ट्रेन है,ने 2012 और 2015 के बीच विश्व की सर्वाधिक लग्जरी ट्रेन होने का पुरस्कार जीता था।

यह 5 अलग-अलग टूर चलाती है अर्थात इंडियन स्प्लेंडर; हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेजर्स ऑफ इंडिया, जेम्स ऑफ इंडिया औरइंडियन पैनोरमा जिसका किराया अमरीकी डॉलर में ही मुद्रित होता है और 2,910 से 23,700 अमरीकी डॉलर के बीच है।

डॉलर और रुपये के विनिमय दर में उतार-चढ़ाव के कारण, इस सेवा का उपयोग करने वाले भारतीय पर्यटकों के लिए कोई निर्धारित शुल्क उपलब्ध नहीं है। यह उन लोगों के लिए एक बाधा है जो इस लग्जरी यात्रा अनुभव का आनंद लेने में रुचि रखते हैं।

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि भारतीय नागरिकों से भारत में हीयात्रा करने के लिए भारतीय रेलवे द्वारा अमरीकी डॉलर में किराया लिए जाने की विसंगति को सही किया जाए। अब समय आ गया है कि भारतीय नागारिकों से किराया भारतीय रुपए में लिया जाए और विदेशी पर्यटकों से अमरीकी डॉलर में।

(बीस) आंध्र प्रदेश के वाई.एस.आर. जिले में इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी (कडापा): मैं माननीय अध्यक्ष का ध्यान आंध्र प्रदेश के वाई.एस.आर. जिले में इस्पात संयंत्र की स्थापना के संबंध में सभा पटल पर किए गए वादे की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदया, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2014 की 13वीं अनुसूची में स्पष्ट रूप से वाई.एस.आर. जिले में एक इस्पात संयंत्र स्थापित करने का उल्लेख किया गया है। इसके बाद, सेल के छह अधिकारियों वाली एक टीम ने जून, 2014 में ही वाई.एस.आर. जिले के विभिन्न स्थानों का सर्वेक्षण किया था। एक स्थानीय सांसद के रूप में, मैंने भी सर्वेक्षण में भाग लिया था।

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको केवल वही पढ़ना है जो पाठ में लिखा है।

श्री वाई.एस. अविनाश रेड्डी:सेल ने आवश्यक कार्रवाई करने के लिए इस्पात मंत्रालय को एक प्रतिवेदन सौंपा है। मैंने इस मामले में तेजी लाने के लिए माननीय इस्पात मंत्री को 4.2.2015, 5.5.2015 और हाल ही में 2.11.2015 और 17.12.2015 को चार पत्र लिखे हैं।

मुझे माननीय इस्पात मंत्री से 25.2.2016 का उत्तर मिला है जिसमें मुझे सूचित किया गया है कि यह राज्य और केंद्र सरकार के अधिकारियों वाली एक टास्क फोर्स को भेजा गया है, ताकि मामले पर और विचार किया जा सके। रायलसीमा के लोगों का यह दृढ़ विश्वास है कि यदि भारत सरकार आवश्यक प्रोत्साहन देती है, तो सेल तुरंत वाई.एस.आर. जिले में इस्पात संयंत्र स्थापित करेगी। अब तक लगभग दो वर्ष बीत चुके हैं लेकिन इस मामले में कोई प्रगति नहीं हुई है। रायलसीमा क्षेत्र के लोग इस पिछड़े क्षेत्र में इस्पात संयंत्र की स्थापना का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे रोजगार सृजन के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास को काफी बढ़ावा मिलेगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत, मैं आपके माध्यम से माननीय इस्पात मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे इस मामले को देखें और आंध्र प्रदेश के वाई.एस.आर. जिले में यथाशीघ्र एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित करने की पहल करें जो कि पिछड़े रायलसीमा क्षेत्र के लोगों के लिए वरदान साबित होगा। `

(इक्कीस) इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत अनुदान की राशि को क्षेत्र विशेष की निर्माण लागत के अनुसार निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री पी.के. बिजू (अलथूर): माननीय अध्यक्ष महोदया, भारत में अनुमानित 200 मिलियन परिवारों में से लगभग 65 से 70 मिलियनपरिवारों के पास पर्याप्त आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है। केंद्र सरकार सभी को आवास हेतु सक्षम बनाने के दृष्टिकोण के तहत, इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) लागू कर रही है, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि ग्रामीण आवास वंचितों के लिए गरीबी निवारण के प्रमुख उपायों में से एक है। इसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लाखों ग्रामीण परिवारों को आवास उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। लेकिन यह दुःखद है कि यह योजना अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में काफी पीछे है।अपर्याप्त अनुदान (प्रति परिवार 2 लाख रुपये) और मानदंडों का उल्लंघन उच्च परिणाम के आंकड़ों को प्रभावित करता है। यहां तक कि सरकार ने आई.ए.वाई. के तहत मात्रात्मक लक्ष्यों को पूरा कर लिया है, लेकिन अन्य मापदंडों पर इसका प्रदर्शन उतना प्रशंसनीय नहीं है। भवन निर्माण सामग्री की लागत को देखते हुए 2 लाख रुपये के अनुदान कीराशि बहुत ही कम है।

उदाहरण के लिए, केरल जैसे राज्य में, रेत का एक ट्रक लोड 30,000 रुपये से अधिक का होता है और पत्थर का एक ट्रक लोड लगभग 8000 रुपये का होता है। केरल में मात्र 2 लाख रुपये की कम धनराशि से आवास का निर्माण करना असंभव है। .साथ ही, "आवास के निर्माण की प्रगति के आधार पर अनुदान राशि को चार किश्तों में दिया जाताहै। इसके कारण लाभार्थी बीच में ही आवास निर्माण का कार्य छोड़ देते हैं। कई अन्य, जिन्होंने स्थानीय साहूकारों या बैंकों से पैसे की व्यवस्था करके निर्माण पूरा किया, उन्हें कर्ज चुकाने में असफलता के कारण अपने घरों से बेदखली का सामना करना पड़ रहा है। कुछ मामलों में, चूंकि अनुदान की राशि अपर्याप्त है, इसलिए कई गरीब लोग अनुदान लेने में संकोच करते हैं।मेरा सरकार से अनुरोध है कि वे इस राशि को क्षेत्र विशेष की भवन निर्माण लागत के अनुसार निर्धारित करने और साथ ही इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत मानकों के उल्लंघन के संबंध में एक व्यापक जांच करवाने के लिए तत्काल कदम उठाएँ।

(बाईस) देश में सुगन्धित और मीठी सुपारी के उत्पादन और बिक्री पर रोक लगाए जाने की आवश्यकता

श्रीमती सुप्रिया सुले (बारामती): अध्यक्ष महोदया, मैं सरकार का ध्यान विशेष रूप से बच्चों और युवाओं द्वारा सुगन्धित और मीठी *सुपारी* के उपयोग की तरफ आकृष्ट करना चाहती हूं।2004 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सुपारी कोइसमें तम्बाकू के न मिले होने पर भी इसे लोगों के लिए कैंसर उत्पन्न करने वाला बताया था।अंतर्राष्ट्रीय कैंसर शोध संस्थान और विश्व स्वास्थ्य संगठन के मोनोग्राफ के अनुसार, *सुपारी* (अखरोट या बीटल नट) से निर्भरता सिंड्रोम, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, रक्तचाप, मोटापा और प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी विकार हो सकते हैं। बच्चों सहित आबादी के बड़े वर्ग को आकर्षित करने के लिए *सुपारी* को सुगंधित या उसमें अन्य पदार्थ मिलाकर बनाया जाता है । यह लगभग हर जगह उपलब्ध है और इसे तुरन्त उपयोग के लिए पाऊचों में पान मसाला के रूप में भी बेचा जाता है, जो कई तरह के फ्लेवरों का मिश्रण होता है। महाराष्ट्र ने फ्लेवरयुक्त, सुगंधित या मिलावटी सुपारी को प्रतिबंधित करने के लिए पहला कदम उठाया है। मेरा सरकार से अनुरोधहै कि सभी राज्यों में इस तरह की *सुपारी* के उत्पादन, बिक्री और वितरण पर रोक लगायी जाए ताकिहमारे युवाओं को इस भयानक बीमारी से बचाया जा सके।

(तेईस) बिहार के नक्सल प्रभावित जिलों में बीएसएनएल मोबाइल टावर स्थापित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका) : अध्यक्ष महोदया, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के परामर्श पर बिहार राज्य के विशेष नक्सल प्रभावित जिलों सहित पूरे बिहार में वर्ष 2013-2014 में 500 बी.एस.एन.[हिन्दी] एल. टावर लगाने हेतु निर्णय हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से आज तक एक भी टावर नहीं लगाया गया है। ...(व्यवधान) पूरे बिहार में बीएसएनएल की सेवा कैसी है, इस तथ्य से सभी वाकिफ हैं। ...(व्यवधान)

अतः मैं संचार मंत्री भारत सरकार से मांग करता हूं कि उपरोक्त घोषणाओं पर अमल करें। ...(व्यवधान)

(चौबीस) महुवा-सूरत एक्सप्रेस को प्रतिदिन चलाए जाने और इसे मुम्बई तक बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री नारणभाई काछड़िया (अमरेली) : अध्यक्ष महोदया, सूरत एक डायमंड सिटी एवं मुम्बई एक वाणिज्यिक शहर होने की वजह से इस रूट में बड़ी संख्या में लोग व्यापार के लिए आवागमन करते हैं तथा हजारों व्यापारी इस रूट का उपयोग करते हैं। ...([अनुवाद] व्यवधान) लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि इस रूट पर केवल एक ट्रेन महुवा-सूरत एक्सप्रैस (12946-12945) चलती है, जो पूरे सप्ताह में एक ही दिन चलती है और सूरत तक चलती है। ...([हिन्दी] व्यवधान) इस कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं इस विषय को लोक सभा सदन में वर्ष 2009 से लगातार उठा रहा हूं और अब यह प्रस्ताव डी.आर.एम. भावनगर डिवीजन की ओर से दिनांक 3.7.2014 को मुख्य यात्री परिचालन प्रबन्धक चर्च गेट मुम्बई के पास भेजा जा चुका है।

अतः मेरा आपसे सादर अनुरोध है कि इस ट्रेन को प्रतिदिन के आधार पर मुम्बई तक चलाया जाये।

[अनुवाद]

माननीय अध्यक्ष: मैं आप सभी से फिर से अनुरोध कर रही हूं, कृपया अपने-अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपका मुद्दा क्या है? कुछ भी नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: मैंने आपके नेता को मामले को उठाने की अनुमति दी है। यह उचित नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करनी होगी। कृपया अपने स्थान पर वापस जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: आपका यह व्यवहार सही नहीं है।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: कृपया अपनी सीटों पर जाएं।

… (*व्यवधान*)

माननीय अध्यक्ष: सभा कल, 2 मार्च, 2016 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

<u>अपराह्न 2.49 बजे</u>

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 2 मार्च, 2016 / 12 फाल्गुन, 1937 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण, अंग्रेजी संस्करण और हिन्दी संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध हैं*:*

https://sansad.in/ls

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का संसद टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की कार्यवाही समाप्त होने तक होता है।

© 2016 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (सत्रहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित